

कॉर्पोरेट नीति

रैकिट की रिश्त-रोधी नीति

उद्देश्य और दायरा

उद्देश्य

रैकिट (वैश्विक स्तर पर इसकी कंपनियों सहित, एक साथ "कंपनी") हमारे कामकाज वाले सभी देशों में हमारे प्रचालनों को शासित करने वाले कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। रैकिट की रिश्त-रोधी नीति ("नीति") दुनिया भर के रिश्तखोरी-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन करने की हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझाती है और यह यकीनी करती है कि हम जिस किसी भी तृतीय पक्ष को हमारे लिए काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, वे भी ऐसा ही करें।

रैकिट में रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता है। यहां तक कि भ्रष्टाचार का सुझाव भी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और व्यवसाय करने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है, साथ ही इसके कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपनी नैतिकतापूर्वक व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही इसका अर्थ नए व्यवसाय हासिल न करना, विशिष्ट एजेंटों या व्यावसायिक साझेदारों की सेवाओं का उपयोग न करना या हमारे मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने में देरी से हो।

इस नीति के किसी भी उल्लंघन का परिणाम अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में हो सकता है, जो उचित परिस्थितियों में बर्खास्तगी तक या उसके सहित है। इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को नीति से परिचित करा लें और इसका सख्ती से पालन करें।

दायरा

इस नीति में उल्लिखित सिद्धांत और दायित्व दुनियाभर में रैकिट कंपनियों के सभी कर्मचारियों, रैकिट के निदेशक मंडल के सदस्यों और रैकिट के ठेकेदारों (एजेंट, सलाहकार, आउटसोर्स किए गए कर्मियों और अन्य प्रतिनिधियों सहित) पर लागू होते हैं। इस प्रकार, हम में से प्रत्येक हमारे व्यावसायिक वार्तालापों (इंटरैक्शन्स) में इन मानकों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी कंपनी ठेकेदार यह समझें कि वे कंपनी की तरफ से कार्य करते समय इस नीति का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

यह नीति तृतीय पक्षों के साथ संवाद के संबंध में रैकिट के न्यूनतम अनुपालन मानकों को निर्धारित करती है। हालांकि, जहां पर स्थानीय कानून, विनियम या स्थानीय या व्यावसायिक इकाई की आंतरिक नीतियों को अधिक कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है, ऐसे नियंत्रणों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक स्थानीय बाजार/व्यावसायिक इकाई की जिम्मेदारी है कि वे सभी अधिक सख्त स्थानीय/व्यावसायिक इकाई संबंधी आवश्यकताओं और नियंत्रणों को पहचानें तथा कड़ाई से उनका पालन करें।

नीतिगत वक्तव्य

रिश्त किसी वित्तीय या गैर-वित्तीय लाभ या किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, वादा, देना, अनुरोध करना या प्राप्त करना है, यदि भुगतान का उद्देश्य किसी व्यक्ति की स्थिति के अनुचित प्रदर्शन/दुरुपयोग को सुरक्षित करना है।

रैकिट में रिश्त निषिद्ध है और इस नीति के अधीन कोई भी व्यक्ति रिश्त या ऐसी कोई भी चीज पेश या प्रदान नहीं कर सकता है जिसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अन्यथा किसी तृतीय पक्ष के माध्यम से रिश्त के रूप में देखा जा सके। इसी प्रकार, इस नीति के अधीन किस भी व्यक्ति को रिश्त या ऐसी किसी भी चीज का अनुरोध प्राप्त नहीं करना चाहिए जिसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अन्यथा किसी तृतीय पक्ष के माध्यम से रिश्त के रूप में देखा जा सके, या रिश्त की प्रत्याशा या परिणामस्वरूप, अपने कार्य को अनुचित रूप से नहीं करना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति से रिश्त स्वीकार करने, या उसे रिश्त देने पर निषेध हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो व्यवसाय के दौरान, व्यवसाय के कर्मचारी या अन्यथा दूसरे लोगों की ओर से उनके कर्तव्य के निष्पादन के संबंध में और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए कार्य करता है। सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कोई भी व्यवहार (डीलिंग) विशिष्ट रूप से उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है। रैकिट कर्मचारियों और ठेकेदारों से संपर्क के लिए अन्य उच्च-जोखिम समूह हैं- स्वास्थ्य सेवा पेशेवर (जैसे कि डॉक्टर, नर्स, न्यूट्रिशनिस्ट इत्यादि) विशेष रूप से वे जो किसी सार्वजनिक स्थापना जैसे राज्य चिकित्सा सेवाओं, अस्पतालों और अन्य मान्यता प्राप्त उद्योगों में

काम करते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों के संदर्भ में अनुचित आचरण की प्रतीति का भी रैकिट की सार्वजनिक छवि पर उल्लेखनीय रूप से प्रतिष्ठा संबंधी असर हो सकता है। रैकिट कर्मचारियों और ठेकेदारों को इन स्थितियों में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए।

इस नीति के तहत, सार्वजनिक अधिकारी के अंतर्गत सरकार या सरकार के स्वामित्व वाली इकाई का कोई अधिकारी, कर्मचारी या प्रतिनिधि शामिल है। यह शब्दावली किसी कानूनी, प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारी तक विस्तारित होगी, चाहे वह निर्वाचित या नियुक्त हो; कोई अधिकारी, या व्यक्ति जो एक पद धारण करता है, किसी राजनैतिक दल में; राजनैतिक पद के लिए एक उम्मीदवार, एक व्यक्ति जो अन्यथा किसी भी देश के लिए या उसकी ओर से, कोई सार्वजनिक कार्य करता है। यह सूची संपूर्ण नहीं है, तो यदि आपके पास कोई सवाल या चिंता है तो आपको अपने नामित कानूनी/अनुपालन अधिकारी से परामर्श करना चाहिए।

संभावित रिश्तखोरी के जोखिम

1. सुविधाशुल्क भुगतान

सुविधा भुगतान सार्वजनिक अधिकारियों को छोटे अनौपचारिक भुगतान होते हैं, ऐसे सामान्य या अनिवार्य कार्यों के प्रदर्शन को सुनिश्चित या तेज करने के लिए, जो कि सार्वजनिक अधिकारी की आम जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। ये रिश्तें हैं, इसके बावजूद कि ये किसी खास देश में “व्यवसाय करने के तरीके” का हिस्सा हो सकते हैं। कंपनी के एक प्रतिनिधि के रूप में, आपको कोई भी सुविधा भुगतान तब तक नहीं करना है जब तक कि आप या आपके साथी ऐसा करने में विफल रहने पर किसी व्यक्तिगत जोखिम में न हों।

2. तृतीय पक्ष

रैकिट को उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी तृतीय पक्ष (अर्थात किसी वितरक, वितरक के एजेंट, सेवा प्रदाता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, संयुक्त उद्यम साझेदार) के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उचित स्तर की सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए कि वे तृतीय पक्ष हमेशा ईमानदारी से काम करने के लिए रैकिट की प्रतिबद्धता और मूल्यों को साझा करें और रिश्तखोरी में संलग्न न हों या संलग्न होने का प्रयास न करें। जहां पर लागू तृतीय पक्ष की समुचित छानबीन प्रक्रिया के तहत आवश्यक हो, जैसा उपयुक्त हो समुचित छानबीन की जानी चाहिए।

3. उपहार और आतिथ्य

व्यावसायिक उपहार या कॉर्पोरेट आतिथ्य देना या स्वीकार करना व्यावसायिक संबंध बनाने या बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है। हालांकि, उपहार और आतिथ्य से समस्याएं हो सकती हैं यदि इनसे वास्तविक या कथित हितों का टकराव उत्पन्न होता हो, या किसी व्यावसायिक फैसले पर असर डाले जाने का पता चलता हो।

किसी वर्तमान या संभावित ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता को उपहार, छूट, अनुग्रह, या सेवाएं देना या उससे प्राप्त करना वर्जित है, यदि वह लाभ इस प्रकार या राशि का है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है। खरीदारी, आपूर्ति और बिक्री (चिकित्सा बिक्री सहित) और शोध एवं विकास यानी आरएंडडी (चिकित्सा मामलों सहित) मेडिकल जैसे कार्यों में अवश्य ही अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। स्थानीय रूप से, आपके कार्य या व्यवसाय में, अतिरिक्त या सख्त आवश्यकताएं लागू की जा सकती हैं, जिनके तहत हो सकता है कि आपको विशिष्ट परिस्थितियों के तहत कोई उपहार या आतिथ्य देने या लेने की अनुमति न हो। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने निर्दिष्ट कानूनी/अनुपालन अधिकारी से सलाह लें।

किसी भी सरकारी अधिकारी/प्राधिकारी को उपहार देने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि इसे रिश्त के रूप में समझा जा सकता है। यदि उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्थिति के बारे में आपको कोई संदेह है (उदा. HPC जिसे GO समझा जा सकता है), तो आपको उपहार देने से पहले कानूनी/अनुपालन टीम के सदस्य की राय लेनी चाहिए।

उपहार केवल तभी अनुमत हैं यदि वे:

- मामूली और उचित हों;
- यदा-कदा हों;
- सद्भावना में;
- अनचाहे;
- नकदी या नकदी समतुल्य नहीं; और
- किसी व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करने के इरादे से नहीं दिए गए हैं।

कभी-कभार, संबंधों को बनाने के उद्देश्य के लिए, आप सामाजिक मनोरंजन या आतिथ्य स्वीकार या पेशकश कर सकते हैं, जैसे कि साधारण भोजन या आयोजन के टिकट। हालांकि, आपको तब तक मनोरंजन या आतिथ्य को स्वीकार या इसकी पेश नहीं करनी चाहिए, जब तक कि गतिविधि:

- भोजन या आयोजन यानी इवेंट पर व्यावसायिक या शैक्षणिक चर्चा की अनुमति न दे (किसी कंपनी प्रतिनिधि का भोजन या आयोजन में उपस्थित होना जरूरी है);
- विशुद्ध व्यावसायिक संबंध का भाग है;
- उसमें अनुचित रूप से व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करने का इरादा नहीं होना चाहिए या उसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए;
- वह उद्योग की प्रथाओं, सभी लागू कानूनों और हमारी कंपनी नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप है;
- वह मूल्य या मात्रा में अत्यधिक नहीं है, जैसा कि स्थानीय प्रक्रियात्मक दस्तावेजों द्वारा परिभाषित है; और
- यदि जनता के ध्यान में लाया जाता है तो हमारी कंपनी को शर्मिंदा नहीं करेगा।

4. राजनीतिक दान

जैसा कि हमारी आचार संहिता में कहा गया है, रैकिट कोई राजनैतिक संगठन नहीं है और यह राजनैतिक दलों का समर्थन नहीं करती (राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों सहित) और न ही किसी ऐसे समूह की निधि में योगदान देती है जिनकी गतिविधियां राजनैतिक दलों के हितों का प्रचार करने या किसी विशेष उम्मीदवार के निर्वाचन का प्रचार करने के लिए होती हैं। राजनैतिक अंशदान में न सिर्फ किसी भी तरह का धन, उपहार, ऋण या बहुमूल्य वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन इनमें किसी और तरह के अंशदान जैसे सामान (कंपनी के उत्पादों को छोड़कर) या दी गई या उपलब्ध कराई कोई सेवा भी शामिल हैं।

5. धर्मार्थ अंशदान

धर्मार्थ अंशदान केवल मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संगठनों को भी दिया जा सकता है। सभी दान अवश्य ही:

- पारदर्शी और हमारी पुस्तकों तथा अभिलेखों में उचित रूप से दर्ज होने चाहिए;
- यह सुनिश्चित करने के लिए धर्मार्थ संस्था की ओर से रसीद या अभिस्वीकृति का पत्र होना चाहिए कि दान को उचित कर व्यवहार (टैक्स ट्रीटमेंट) मिलता है; और
- रैकिट की नीतियों और प्रक्रियाओं, स्थानीय कानून और विनियमों के अनुपालन में होना चाहिए। दान को कतई:
- किसी व्यक्ति को नकद में नहीं किया जाना चाहिए; या
- किसी सार्वजनिक अधिकारी को अनुचित रूप से कार्य करने के लिए प्रलोभन के रूप में या पुरस्कार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जिसमें उसका अनुरोध शामिल हो।

कृपया दान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रैकिट की दान नीतियों और प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन करें और यदि आवश्यक हो, तो मार्गदर्शन के लिए हमारे निर्दिष्ट कानूनी/अनुपालन अधिकारी से संपर्क करने में संकोच न करें।

6. प्रायोजन

रैकिट प्रायोजन के माध्यम से प्रचार गतिविधियों द्वारा अपने ब्रांड को मजबूत करना चाह सकती है, उदाहरण के लिए शिक्षा, विज्ञान, कला और संस्कृति को कवर करने वाली पहल का प्रायोजन करने के माध्यम से। ऐसे उदाहरणों में रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार की किसी भी धारणा या जोखिम से बचने के लिए अवश्य ही सावधानी बरती जानी चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रायोजन का उपयोग

कोई अनुचित लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। अनुचित लाभ कोई नया अवसर या मौजूदा व्यवसाय को बनाए रखना हो सकता है जिसे रैकिट अन्यथा हासिल करने में सक्षम नहीं थी।

7. अभिलेख रखना (रिकॉर्ड कीपिंग)

रैकिट द्वारा प्रबंधित वित्तीय और गैर वित्तीय अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) का खुलासा शेयरधारकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के समक्ष किया जाता है। ये रिकॉर्ड सटीक और पूर्ण होने चाहिए ताकि तृतीय पक्षों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन को प्रमाणित और उनका औचित्य सिद्ध किया जा सके। इसका अर्थ है कि यदि कोई अनुचित भुगतान किया गया है (उदाहरण के लिए, सुविधा भुगतान जब आपका जीवन खतरे में था) इसे सटीक तरीके से खाते में दर्ज किया जाना चाहिए।

सभी खाते, इन्वॉइस और अन्य अभिलेख जिनमें आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित तृतीय पक्षों के साथ लेनदेन शामिल है, अवश्य ही सटीक रूप से तैयार किए जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई खाता "ऑफ-बुक" यानी लेखा पुस्तिका से बाहर तैयार नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जहां इसे किसी अनुचित लेनदेन को छिपाने के लिए बनाया गया है।

उपहारों और आतिथ्य (दिए और लिए गए) का अभिलेख रखना

वे सभी व्यक्ति जो इस नीति के अधीन हैं उन्हें अवश्य ही आतिथ्यों और उपहारों की घोषणा करनी चाहिए और दर्ज करना चाहिए:

(a) इस नीति के अधीन किसी रैकिट कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त;

(b) किसी सरकारी अधिकारी को दिया गया

रैकिट के इलेक्ट्रॉनिक उपहार और आतिथ्य रजिस्टर में, जहां इंटरनेट पर घोषणा प्रपत्र तक पहुंचा जा सकता है। रैकिट उम्मीद करती है कि जो लोग इस नीति के अधीन हैं और इंटरनेट पर जिनकी पहुंच है वे इसका उपयोग US25 (पच्चीस अमेरिकी डॉलर) से अधिक के प्राप्त सभी आतिथ्य और उपहारों को दर्ज करने के लिए करेंगे।

कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गए सभी आतिथ्य और उपहार, तृतीय पक्षों को किए गए आतिथ्य, उपहारों और भुगतानों से संबंधित खर्च यह सुनिश्चित करते हुए दावों के रूप में व्यय प्रणाली यानी एक्सपेंस सिस्टम (उदा. Concur) में सबमिट किए जाने चाहिए कि वे उचित रूप से सही खर्च प्रकार में दर्ज किए गए हैं (उदा. व्यावसायिक मनोरंजन), यह कि आतिथ्य और उपहार प्राप्तकर्ता का खुलासा किया जाता है और यह कि इस खर्च के प्रकार का औचित्य प्रदान किया जाता है।

8. हितों का टकराव

हितों का टकराव ("COI") तब होता है जब व्यक्तिगत, वित्तीय, सामाजिक या पारिवारिक हितों सहित निजी हित रैकिट के हितों के विरुद्ध हों या विरुद्ध नज़र आ रहे हों। यह रैकिट के कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसी परिस्थितियों से बचें जिनमें वास्तविक या कथित, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके और रैकिट के हितों का टकराव सामने आता है या निर्मित होता है। हितों का टकराव, साथ ही हितों का टकराव नज़र आना भी, रैकिट की साख को नुकसान पहुंचा सकता है और कंपनी के व्यावसायिक हितों को क्षीण कर सकता है।

रैकिट के कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से सभी संभावित हितों के टकराव को हितों का टकराव मानक परिचालन कार्यप्रणाली यानी एसओपी के अनुसार और रैकिट की किन्हीं भी लागू स्थानीय नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रकट करना ज़रूरी है।

9. भर्ती की प्रथाएं

रैकिट के स्टाफ को भर्ती की प्रथाओं के साथ जुड़े हुए रिश्त और भ्रष्टाचार के ऐसे जोखिमों के प्रति अवश्य सतर्क रहना चाहिए, जो अस्थायी या स्थायी काम को कवर करती हैं (ठेकेदारों सहित), चाहे भुगतान वाले हों या बगैर भुगतान वाले (उदा. कोई इंटरशिप, ग्रेजुएट स्कीम, सेकंडमेंट, अस्थायी भर्ती या वर्क प्लेसमेंट)। रिश्त और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत, ऐसी भर्तियां "मूल्यवान वस्तु" समझी जा सकती हैं और अनुचित इरादों के साथ कोई मूल्यवान वस्तु देना रिश्त और भ्रष्टाचार के बराबर होता है।

सार्वजनिक अधिकारियों, कर्मचारी(रियों), तृतीय पक्षों, क्लाइंट या संभावित क्लाइंट द्वारा रैकिट को संदर्भित उम्मीदवारों को लेकर यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सावधानी बरती जानी चाहिए कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया वैध, योग्यता के आधार पर, ठोस, सुसंगत है और समुचित तरीके से दर्ज की जाती है।

उपरोक्त का पालन करने में विफलता रैकिट या किसी स्टाफ सदस्य को जोखिम में डाल सकती है जिसमें नियामक उल्लंघन, आपराधिक प्रवर्तन और संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है।

नीति कार्यान्वयन का प्रशिक्षण और समीक्षा

नए भर्ती किए गए कर्मचारी अपनी भर्ती प्रक्रिया के भाग के रूप में भ्रष्टाचार-रोधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

सभी कर्मचारी कम से कम हर दो साल में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कुछ व्यक्तियों के लिए उनकी भूमिकाओं में जोखिम को प्रदर्शित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण आवश्यक हो सकता है।

उच्च जोखिम वाले वातावरण में, कर्मचारी उन संभावित परिस्थितियों को संभालने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जहां पर रिश्तखोरी का जोखिम पैदा हो सकता है।

चेतावनियां

ऐसे कई मुद्दे हैं, जो हमें इस बात की जांच करने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या कोई लेन-देन या संबंध किसी संभावित रिश्तखोरी का जोखिम या मुद्दा बन सकता है।

वे सभी व्यक्ति जो इस नीति के अधीन हैं उन्हें अवश्य सतर्क रहना चाहिए और नीचे सूचीबद्ध किसी भी परिदृश्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप नीचे सूचीबद्ध किसी भी संभावित मुद्दे का सामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि (i) विचार करें कि क्या आपकी ओर से आगे जांच और समुचित छानबीन आवश्यक है; और/या (ii) मामले को अपने प्रबंधक और कानूनी/अनुपालन अधिकारी को आगे बढ़ाएं।

निम्नलिखित लाल झंडियों के उदाहरण हैं (यह सूची संपूर्ण नहीं है):

- उस देश में रिश्तखोरी का प्रसार जहां पर विशिष्ट लेन-देन या संबंध के साथ गठजोड़ है (तृतीय पक्ष ऐसे देश में स्थिति है या लेन-देन में ऐसा देश शामिल है) ; उदा. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) के अनुसार जैसा कि वार्षिक रूप से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है;
- असाधारण रूप से उंची फीस या कमीशन का भुगतान, किसी खास भुगतान को ठेका मिलने से पहले किए जाने की आवश्यकता, न्यूनतम कार्य उत्पाद या पैसे की कोई कीमत नहीं;
- सरकारी अनुमतियों के संबंध में नकद भुगतान या अप्रत्याशित भुगतान के लिए अनुरोध;
- कई कंपनियों, एकाधिक खातों या अलग-अलग देशों में भुगतान के लिए अनुरोध;
- रैकिट की ओर से तृतीय पक्षों को हुए अपरिभाषित या रिपोर्ट न किए गए भुगतान;
- कोई लिखित समझौता नहीं होना या अनुबंध की असामान्य शर्तें;
- सरकारी अधिकारियों, उनके मित्रों या परिवार के साथ असामान्य रूप से निकट संबंध;
- सामने वाला पक्ष यानी प्रतिपक्ष रैकिट को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बहुत कम या कोई भी अनुभव या विशेषज्ञता प्रदर्शित नहीं करता है जैसा कि हम तृतीय पक्षों से उनके संबंधित कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की उम्मीद करते हैं;
- खराब पृष्ठभूमि या प्रतिष्ठा संबंधी निष्कर्ष (जिसमें उदाहरण के लिए पूर्व का भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा के लिए नकारात्मक साख शामिल है);
- इस नीति और रैकिट के तृतीय-पक्ष की आचार संहिता के अनुपालन को प्रमाणित करने से इनकार।

संपर्क जानकारी

यदि इस नीति या संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अनुपालन टीम के किसी सदस्य से संपर्क करें या हमें [Ethicsandcompliance\(g\)reckitt.com](mailto:Ethicsandcompliance(g)reckitt.com) पर ईमेल भेजें।

गैर-अनुपालन के लिए अनुशासन

रेकिट का कोई भी कर्मचारी या ठेकेदार, जो इस नीति का उल्लंघन करता है, वे समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर सकता है, जो कि समुचित परिस्थितियों में बर्खास्तगी तक और उसके समेत, यह उनके व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित अन्य दंडों (उदा. जुर्माना और कैद) के अतिरिक्त होगा।

स्वीकृतियाँ

पद	नाम	शीर्षक
लेखक	Luis Cuevas (लुइस क्यूवास)	वैश्विक नैतिकता एवं अनुपालन निदेशक
अधिकारी	Marco Gregorio (मार्को ग्रेगोरियो)	मुख्य नैतिकता और अनुपालन अधिकारी
अनुमोदनकर्ता	रुपर्ट बाँडी	जनरल काउंसेल
अनुमोदनकर्ता	जेफ कार (Jeff Carr)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
अनुमोदनकर्ता	Laxman Narasimhan (लक्ष्मण नरसिम्हन)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी